न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/30/2016

उनवान

1. नसीम बानु पत्नी कासिम हुसैन मुसलमान निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के प्रकरण संख्या 145/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1.7.2015

अधिवक्तागण :–

1. श्री जे सी विजयवर्गीय, अधिवक्ता अपीलार्थी
2 श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28.6.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीया /वादीया ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बिजौलिया तहसील बिजौलिया की सीमा में खसरा नम्बर 608 स्थित होकर भिन्न–भिन्न खसरा नम्बरों में यह नंबर बटा हुआ है। जिसमें आराजी खसरा संख्या 1604/608 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा व आराजी खसरा नम्बर 1634/608 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भी उसके बटा नम्बर है। आराजी खसरा नम्बर 1604/608 व

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1634/608 कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा पर वर्ष 1986 से वादिया के पुत्र अख्तर हूसैन व वादिया का निरन्तर बिना किसी बाधा के जरिये काश्त के कब्ज्जा चला आ रहा है। गत 22 बरसों से प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा उक्त भूमि के अतिक्रमण से कब्जे बाबत धारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही वादिया के पुत्र अख्तर हूसैन एवं वादिया के विरूद्ध की जाती रही है। वादग्रस्त जायदाद न तो चरागाह है एवं न ही इस पर किसी प्रकार की कोई आबादी बसी है न ही इस भूमि के आस–पास काई खदाने हैं वादिया का कब्जा वर्तमान समय में है वादिया के पुत्र 2 साल से राजकीय सेवा में है इसलिए कुलिया वादग्रस्त आराजियात वादिया के कब्जे में ही चली आ रही है। वादग्रस्त आराजियात पर वादिया का कब्जा परिपक्व होकर वादग्रस्त आराजियात को वादिया अपनी खातेदारी में कराने हेतु कानूनी रूप से अधिकृत हो गई है। वादिया का बिलानाम राजकीय भूमि पर उस अवधि में आने वाला कब्जा है जिसके लिए नियमन किया जाने की व्यवस्था संबंधी राज्य सरकार ने विज्ञप्ति जारी की हुई है।

2. प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा वर्ष 1987 में जारी किये गये सूचना पत्र अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम में उडद, मकी, चंवला आदि की फसल काश्त किया जाना वर्णित करते हुए नोटिस भिजवाया है वर्ष 1990 में दिये गये धारा 91 के नोटिस में भी भूमि की किस्म चरागाह को काटकर सिवायचक अंकित की हुई है। शेष अब तक के धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के नोटिस में न तो भूमि की किस्म चरागाह होना अंकित किया है एवं न ही अवैध कब्जा पडत भूमि पर बता वादिया के खिलाफ कार्यवाही की गई है। इस प्रकार वादिया का कब्जा प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा उनके स्वयं के तैयार अभिलेखों से जरिये काश्त के स्थापित है। वादिया वादग्रस्त आराजियात के अलावा किसी भी भूमि की खातेदार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

काश्तकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष पुराने कब्जे के दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के बावजूद नियमन की सिफारिश नहीं की गई। आराजी खसरा नम्बर 608 में कई व्यक्तियों को भूमि का आवंटन भी किया गया है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त जायदाद सिवाय चक कृषि योग्य भूमि है, क्योंकि वादिया द्वारा चाही जाने वाली खातेदारी में भूमि उसी खसरा नम्बर बाबत मांगी गई है। अतः मौजा बिजौलिया स्थित बिलानाम भूमि खसरा नम्बर 608 जिसके उप खसरा नम्बर 1604/608 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा व आराजी खसरा नम्बर 1634/608 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा बने है को वादिया की खातेदारी में घोषित किया जावे व वादिया को उसके कब्जेवाली भूमि से बेदखल नहीं करने हेतु भूमि से उसका कब्जा नहीं हटाने और काश्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प बिजौलिया में अपीलाधीन निर्णय पारित किया । जिसकी जानकारी अपीलार्थी को नहीं हो सकी । प्रार्थी/अपीलार्थी काफी वृद्ध होकर डायबिटिज, हाई ब्लड प्रेशर आदि बिमारियों से ग्रसित है। इस कारण वह अपने अधिवक्ता से भी सम्पर्क

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नहीं कर सकी । सितम्बर माह में नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके बाद फिर बीमार होने से ईलाज में काफी उतार चढाव आया और घर से बाहर नहीं जा सकी । इस कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट का ग्राम बिजौलिया की बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 1604/608 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा व आराजी खसरा नम्बर 1634/608 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा पर कब्जा चला आ रहा है। जिस पर अपीलाण्ट ने घोषणात्मक डिक्री वादी के नाम जारी कराने हेतु दावा प्रस्तुत किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत अभियान में चिन्हित कर नोटिस दिया एव अपीलार्थी की अनुपस्थिति में वाद पत्र खारिज कर दिया । जो निरस्त योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रतिवादी सरकार की ओर से शिविर में एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया जिसमें अपीलाण्ट को नहीं सुनकर एकतरफा निर्णय एवं डिक्री पारित की गई और वादी अपीलाण्ट का वाद खारिज कर दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम तो शिविर में प्रकरण को निस्तारण किया जाना गैर कानूनी है कारण लोक अदालत में उन्हीं मुकदमों का निस्तारण किया जाता है जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से निर्णय हो तथा समझौते से निर्णय पारित किया जा सकता है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में एक तरफा निर्णय करने की कानूनी भूल की है। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन नहीं किया एवं अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना, प्रस्तुत दस्तावेजात को प्रदर्श कराये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी एवं वाकियाति भूल की है जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र का बिना जवाब दिये एवं उस पर बिना तनकी बनाये निर्णय करने में कानूनी भूल की है जबकि ऐसे बिन्दु पर तथ्य एवं कानूनी, बिन्दु पर तनकी बनाकर निर्णय करना आवश्यक था ऐसे तथ्यों को नजरअंदाज कर अपने विवेक का इस्तेमाल किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनिांक 1.7.2015 को निरस्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

की जावे एवं प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड की जावे।

10. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया । साथ ही यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार कर अपीलार्थी/वादी का वाद खारिज किया वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अंदर मियाद मानी जाती है।

12. अपीलार्थी का कथन है कि ग्राम बिजौलिया की बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 1604/608 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा व आराजी खसरा नम्बर 1634/608 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा पर कब्जा चला आ रहा है। जिस पर अपीलाण्ट ने घोषणात्मक डिक्री वादी के नाम जारी कराने हेतु दावा प्रस्तुत किया है। कब्जे को साबित कराने के लिए अपीलार्थी के विरूद्ध जारी 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के नोटिस एवं पेनल्टी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.) सत्यमेव जयते

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

की रसीदें प्रस्तुत की थी। तथा कब्जा साबित करने के लिए स्वयं के बयान तथा अन्य गवाह महावीर, चन्द्रकंवर के बयान कराये हैं। जिससे अपीलार्थी/वादी का वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा साबित हुआ है। अपीलार्थीया कब्जे के आधार पर वादग्रस्त आराजियात की खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारी थी।

13. अपीलार्थी ने वादग्रस्त ग्राम बिजौलिया की बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 1604/608 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा व आराजी खसरा नम्बर 1634/608 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा पर अपना अतिक्रमण होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया । जिसमें अपीलार्थीया द्वारा गवाहान के बयान, उसके विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत जारी नोटिस एवं पेनल्टी की रसीदें प्रस्तत की है। परन्तु अपीलार्थीया का वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा लगातार होने की स्थिति में प्रकरण निमयन हेतु बनता है। जिसके लिए अपीलार्थी/वादी को तहसीलदार के समक्ष नियमन हेतु आवेदन करना चाहिये था। ताकि प्रकरण को आवंटन सलाहकार समिमि के समक्ष नियमन हेतु प्रस्तुत किया जा सके। वादग्रस्त आराजियात अपीलार्थी को आवंटन से प्राप्त नहीं हुई है एवं न ही भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान उसकी खातेदारी अधिकार की भूमि को बिलानाम दर्ज किया गया है तथा न ही उसके खातेदारी अधिकार की भूमि को किसी दिगर व्यक्ति के नाम ही दर्ज किया गया है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

14. अपीलार्थीया का निवेदन है कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर वादिया को जवाब दिये जाने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था तथा उक्त बिन्दु पर तनकियात कायम की जानी चाहिये थी एवं तनकीवाईज निर्णय पारित किया जाना चाहिये था । **अपीलाधीन प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण प्रकिया की पालना की गई है। प्रकरण में गवाहान नसीम बानों पी डब्ल्यू 1 एवं महावीर कुमार पी डब्ल्यू के बयान पंजिबद्ध किये गये थे। दिनांक 4.3.2015 को प्रकरण प्रकरण साक्ष्य वादी में लंबित था। इस तारीख पेशी पर वादी की ओर से गवाह हाजिर नहीं हुआ था। इसी दौरान राजस्व लोक अदालत कैम्प हेतु नोटिस जारी किये जाकर प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखा गया ।**

15. दौराने विचारण वाद राजस्व लोक अदालत कैम्प में दिनांक 1.7.2015 को प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रकरण कि विवादित भूमि बिलानाम सरकारी भूमि है जिसको नियमन करने की धारा 88 व 188 में कोई प्रावधान नहीं है ऐसी स्थिति में वादिया का वाद उक्त धाराओं में पोषणीय नहीं होने से खारिज करने योग्य है । वादिया विवादित भूमि की खातेदार टिनेन्ट भी नहीं है ऐसी स्थिति में वादिया को टिनेन्सी एक्ट के तहत वाद लाने का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादिया का वाद खारिज किया जावे। अपीलार्थीया ने खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था । वादग्रस्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजियात उसके अथवा उसके पूर्वज के नाम कभी खातेदारी रही हो ऐसा कोई दस्तावेज अपीलार्थी द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया एवं न ही न्यायालय हाजा में ही प्रस्तुत किया गयां। यदि विवादित भूमि पर अपीलाण्ट के खातेदारी अधिकार प्रोदभूत होना संभावित होता तो वादिया/अपीलाण्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,188 के तहत वाद लाने की अधिकारी थीं । चूंकि प्रकरण राजकीय भूमि पर अतिक्रमण का है अतः इसे घोषणात्मक वाद के रूप में पोषणीय नही माना जा सकता । **अपीलार्थी/वादी ने वाद पत्र राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 88, 188 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अनुतोष हेतु अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था । जबकि 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजकीय बिलानाम भूमि पर कब्जे के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा नही चाही जा सकती है। पूर्व में खातेदारी अधिकारों बाबत कोई कथन न कर मात्र एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी चाही है।** धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण के आधार पर खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा नहीं चाही जा सकती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पोषणीय नही होने से आदेश 7 नियम 11 में खारिज किया है। **आदेश 7 नियम 11 (घ) "जहॉ वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है"। यहां यह देखा जाता है कि आदेश 7 नियम 11 के तहत किया गया निर्णय विधिनुकुल है अथवा नही। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा**

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

88 के तहत खातेदारी उदघोषणा का वाद **Adverse Possesion** के आधार पर नही लाया जा सकता। अतः **Adverse Possesion** के आधार पर लाया गया वाद तकनीकि आधार पर ही पोषणीय नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार कर वाद को खारिज किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

16. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1.7.2015 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

17. निर्णय आज दिनांक 28.6.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू प्रबन्धन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/30/2016

उनवान

1. नसीम बानु पत्नी कासिम हुसैन मुसलमान निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के प्रकरण संख्या 145/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1.7.2015

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/30/2016** मे **उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 27.6.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री जे सी विजयवर्गीय वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 28.6.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1.7.2015 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 28.6.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्क्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस